<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

सं. 21/58/2013-एम एण्ड जी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
....

एन डी सी सी-।। भवन, 5वां तल
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 9 अप्रैल , 2013
11 APR 2013

सेवा में

श्री दौलत सिंह धोनी,
एक्स-सर्विसमैन वैलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत)
सदभावना कॉलोनी, कन्दरपुर, डा. उमरसिया,
जिला बरेली-243001 (उत्तर प्रदेश)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना ।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 15.03.2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में आर टी आई सैल के दिनांक 25.03.2013 के पत्र ए-43020/01/2013-आर टी आई के माध्यम से इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को 03.04.2013 को प्राप्त) का अवलोकन करें। इस बारे में यह सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में "चनहती" रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर "बरेली कैंट" किए जाने संबंधी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से दिनांक 31 जुलाई, 2012 के पत्र के तहत इस मंत्रालय में दिनांक 8 अगस्त, 2012 को प्राप्त हुआ था। बिंदु-वार उत्तर निम्नानुसार हैं:

(i) उक्त प्रस्ताव की अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ii) जी हां, भेज दिया गया है।

2. उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध अपील श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस) एवं प्रथम अपील प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली को की जा सकती है।

भवदीय

o/c

(आशुतोष जैन)
निदेशक (सी एस-।।) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष: 23438147

प्रतिलिपि प्रेषित:

IWO-16/2013 श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आर टी आई, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में।

Sent on 11/4/13

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी

/ सचिव गृह मंत्रालय

भारत सरकार नई दिल्ली ।

2 0 MAR 2013

के० रं० सं०......500/SP

प्रार्थना पत्र वास्ते जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

श्रीमान जी,

आपके पत्रांक 946ई/ 23•11•2010, जिला मजिस्ट्रेट बरेली के पत्र सं0 539/ पन्द्रह-यू0आई0(2010-15) जे0ए0 दिनांक 19•5•2012 को दिये गये पत्र कि जनपद बरेली में "चनेहटी" रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर "बरेली कैण्ट" रेलवे स्टेशन किये जाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

2• आपके अनुमोदन व गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बिना रेल मंत्रालय स्टेशन का नाम बदलकर दूसरा नाम नही रख सकता है तथा इस सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार के सचिव द्वारा एन0ओ0सी0 उ0प्र0सरकार द्वारा प्राप्त होने के बाद आपने गृह मंत्रालय का पत्र रेल मंत्रालय को भेजा या नही कृपया जानकारी दे ?

कृपया उपरोक्त सूचना जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिसके लिए सूचना शुल्क 10/- रू0 संलग्न किया जा रहा है ।

दिनांक: 15•3•13

पोस्टल आर्डर न0 17एफ-299826

भवदीय

(दौलत सिंह धोनी)

अध्यक्ष,

पूर्व सैनिक कल्याण समिति0रजि0

सद्भावना कालोनी कण्डारपुर

पो0ओ0 उमरसिया जि0बरेली